**भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ**

**फा.सं. 6/01/2026-डीजीटीआर**
**भारत सरकार**
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**
**व्यापार उपचार महानिदेशालय**
**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,**
**5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001**

**दिनांक: 16 मार्च, 2026**

**मामला संख्याः -एडी(ओआई)-01/2026**

**जांच शुरूआत अधिसूचना**

**विषय: चीन जन.गण., रूस और संयुक्त अरब अमीरात के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "हेक्सामाइन" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।**

1. समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" या "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और मैसर्स सिमालिन केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" कहा गया है) ने चीन जन.गण., रूस और संयुक्त अरब अमीरात (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्याति "हेक्सामाइन" (जिसे आगे "संबद्ध सामान" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी"कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातो से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। आवेदकों ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर अंतरिम शुल्क की भी मांग की है।

## क. विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद हेक्सा मेथिलिन टेट्रामाइन है, जिसे आमतौर पर 'हेक्सामाइन' के नाम से जाना जाता है। हेक्सामाइन का रासायनिक सूत्र है सी6एच12एन4 और यह सीएएस संख्या 100-97-0 के अनुरूप है।

4. हेक्सामाइन को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे एम्मो फॉर्म, मेथेनामाइन, सिस्टामिन, सिस्टोजेन, यूरोट्रोपिन।

5. हेक्सामाइन हल्की अमोनिया गंध के साथ एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर है। यह 280 डिग्री सेल्सियस पर झुलस जाता है, वैक्यूम में 230 डिग्री सेल्सियस पर उर्ध्वपातित हो जाता है। यह पानी और कार्बन डाइसल्फाइड में अच्छी तरह से घुलनशील है, अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में मध्यम रूप से घुलनशील है, ईथर और बेंजीन में थोड़ा घुलनशील है। हेक्सामाइन को फॉर्मल्डेहाइड और अमोनिया की प्रतिक्रिया के माध्यम से रासायनिक उद्योग में तैयार किया जाता है।

6. इसका उपयोग विभिन्न औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, मुख्य रूप से रेजिन, फार्मास्यूटिकल्स, विस्फोटक और रबड़ उद्योग के निर्माण में। अन्य उपयोगों में, इसका उपयोग सख्त और रेजिन के लिए क्रॉस-लिंकिंग एजेंट के रूप में किया जाता है।

7. उत्पाद को उसके वजन से मापा जाता है, जिसे किलोग्राम या एमटी में व्यक्त किया जाता है। सीमा प्रशुल्क अधिनियम के तहत संबद्ध सामानों के लिए निर्धारित माप की इकाई भी वजन "किलोग्राम" है।

8. हेक्सामाइन को उप-शीर्ष 2921 29 10 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। हालाँकि, विचाराधीन उत्पाद को कोड 2921 29 90 और 2933 69 90 के तहत भी आयात किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

9. आवेदकों ने कोई पीसीएन पद्धति प्रस्तावित नहीं की है।

10. वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकार जांच की शुरूआत की प्राप्ति के परिचालन के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति का प्रस्ताव कर सकते हैं।

**ख. समान वस्तु**

11. आवेदकों ने उल्लेख किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यातित सामान में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और संबद्ध वस्तुओं के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। संबद्ध सामान और आवेदकों द्वारा विनिर्मित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता संबद्ध सामानों और आवेदकों द्वारा निर्मित सामानों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनों के लिए, आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को प्रथम दृष्टया, संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे उत्पाद की समान वस्तु माना गया है।

**ग. संबद्ध देश**

12. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण., रूस और संयुक्त अरब अमीरात हैं।

**घ. जांच की अवधि (पीओआई)**

13. वर्तमान जांच के लिए क्षति जांच की अवधि (पीओआई) अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 (12 माह) है। क्षति की जांच की अवधि में अप्रैल 2022 से मार्च 2023, अप्रैल 2023 से मार्च 2024, अप्रैल 2024 से मार्च 2025 और जांच की अवधि शामिल होगी।

**ड. घरेलू उद्योग और आधार**

14. यह आवेदन-पत्र मैसर्स कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स सिमालिन केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। भारत में संबद्ध सामानों का एक अन्य घरेलू उत्पादक है, अर्थात् श्रीनाथजी रसायन प्राइवेट लिमिटेड, जिसने आवेदन-पत्र के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है।

15. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, आवेदकों के उत्पादन का समान वस्तु के भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। आवेदकों ने प्रमाणित किया है कि उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और न ही वे संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक या आयातक से संबद्ध हैं।

16. उपर्युक्त को देखते हुए और उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी संतुष्ट है कि आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के अभिप्राय से या घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया है।

**च. कथित पाटन का आधार**

**क. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य**

17. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-I के नियम-7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने नियमावली के अनबंध-I के पैरा 8(2) का हवाला दिया है और कहा है कि चीनी उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(3) के अनुसार संबद्ध सामानों का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति विद्यमान है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

18. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत या लागत के बारे में विश्वसनीय सूचना तीसरे देश या वैकल्पिक तरीकों का सहारा उपलब्ध नहीं है। इसलिए, घरेलू उद्योग ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित लाभ के साथ भारत में उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर चीन के लिए सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया है। जांच शुरू करने के उद्देश्य से भी ऐसा ही माना गया है।

**ख. रूस और संयुक्त अरब अमीरात के लिए सामान्य मूल्य**

19. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वह रूस और संयुक्त अरब अमीरात में संबद्ध सामानों की तुलनीय कीमतों पर सूचना प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। यह सूचना किसी भी सार्वजनिक स्रोत से भी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, चूंकि संबद्ध सामान विभिन्न

कोडों के तहत आयात किए जा रहे हैं, अत: जब संबद्ध देशों से तीसरे देशों में निर्यात किया जाता है तो संबद्ध सामानों के प्रतिनिधिकारक कीमत के संबंध में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं थी। इसके मद्देनज़र, आवेदकों ने भारत में उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए, सामान्य मूल्य के आधार के रूप में बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और लाभ के साथ, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रूस और संयुक्त अरब अमीरात के लिए सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया है। जांच शुरू करने के उद्देश्य से भी ऐसा ही माना गया है

**ग. निर्यात कीमत**

20. आवेदकों ने अपनी बाजार आसूचना के अनुसार आयात की मात्रा और मूल्य पर विचार करके संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है। तथापि, *प्रथम दृष्टया मूल्यांकन* के प्रयोजन के लिए, कारखानागत निर्यात कीमत का पता लगाने के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों को अपनाया गया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय और सार-संभाल शुल्क के निमित्त समायोजन किया गया है।

**घ. पाटन मार्जिन**

21. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी है। इस प्रकार, इस बात का *प्रथम दृष्टया* प्रमाण है कि संबद्ध देशों विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

**छ. क्षति का साक्ष्य और कारणात्मक संपर्क**

22. क) घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई जानकारी को घरेलू उद्योग को हुए नुकसान के आकलन के लिए माना गया है। घरेलू उद्योग ने डंप किए गए आयात के कारण हुए नुकसान के संबंध में प्रारंभिक सबूत प्रदान किए हैं। पीओआई में विषय देशों से आयात में काफी वृद्धि हुई है। विषय देशों से आयात की मात्रा दोनों ही पूर्ण अवधि में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी है। प्रत्येक विषय देश से कीमतों में कटौती के सबूत हैं। घरेलू उद्योग ने मूल्य गिरावट और दबाव से नुकसान झेला है। इसका घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के मानदंडों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग ने

अपने संचालन प्रदर्शन में तीव्र गिरावट का दावा किया है क्योंकि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि में क्षति, नकद हानि और पूंजी पर नकारात्मक रिटर्न झेला है।।

उपर्युक्त से, प्राधिकारी को प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारण संपर्क का पर्याप्त प्रमाण मिलता है।

**ज. शुल्क पूर्वव्यापी रूप से लगाना**

23. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के संबद्ध देशों से आयातों पर पाटनरोधी पूर्व की तारीख से लगाए जाने का अनुरोध किया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि निम्नलिखित के कारण पूर्व की तारीख से शुल्क लगाया जाना आवश्यक है:

क) भारत में पाटन का इतिहास है जैसा कि विचाराधीन उत्पाद पर पिछली जांच के तथ्य से स्पष्ट है।

ख) आयातक को वर्तमान संबद्ध देशों द्वारा पाटन के बारे में पता होना चाहिए, जो पिछली जांचों से अपने अनुभव के आधार पर था जिसने कीमत स्तरों को सिद्ध किया था, जिस पर पाटन निर्धारित किया जा रहा था।

ग) शुल्क नहीं लगाने से संबद्ध देशों से पाटन में वृद्धि होने की संभावना है।

**झ. पाटनरोधी जांच की शुरुआत**

24. आवेदकों द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटन के संबंध में उसमें प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य, संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति तथा उस क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संपर्क के आधार पर संतुष्ट होने पर तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरु करते हैं।

## त्र. प्रक्रिया

25. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

## ट. सूचना प्रस्तुत करना

26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को स्वयं को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in/) पर पंजीकृत करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारो से सभी पत्र और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी के तहत सेतु पोर्टल - एडी/ओई/001/2026 पर अपलोड किए जाएंगे । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का भवात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और आंकड़ा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।

27. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादक/निर्यातक, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं को संबद्ध सामानों से संबंधित होने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से सभी संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। ऐसी सभी सूचना इस जांच की शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से दायर की जानी चाहिए।

28. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार नियमावली और इस जांच की शुरुआत में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिसों, जांच की शुरुआत में निर्धारित स्वरूप और तरीके से वर्तमान जांच के संगत अनुरोध भी कर सकता है।

29. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसी का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराना आवश्यक है।

30. इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए हितबद्ध पक्षकारों को व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से नज़र रखने की सलाह दी जाती है। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने और प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/ बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धि, संशोधन अधिसूचनाओं और अन्य ऐसी सूचना

के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं के संबंध में अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट www.dgtr.gov. को नियमित रूप से देखते रहें।

**ठ. समय सीमा**

31. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी-एडी/ओआई/001/2026 के तहत सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोधों के दोनों रूपांतर, गोपनीय रूपांतर (सीवी) और अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) को आवेदन-पत्र का अगोपनीय रूपांतर प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना चाहिए या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते है।

32. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करें।

33. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र/पीसीएन पद्धति के संबंध में टिप्पणियां दायर करने के लिए 15 दिन की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना के पैरा 31 में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।

34. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद की सूचना के माध्यम से, विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन को संशोधित करते है, जिसे पहले प्रस्तावित नहीं किया गया था या जो जांच शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो समय का 15 दिनों का विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन की उस अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय बढ़ाना उन उदाहरणों में लागू नहीं होता है जहां जांच शुरू होने के बाद विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(4) के अनुरूप अपवादात्मक

परिस्थितियों को छोड़कर, समय के और विस्तार (यदि प्रदान किया जाता है) के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

35. विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबद्ध पक्षकारों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

**ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

36. किसी भी पक्षकार को प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध या गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले किसी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचना के अनुसार उसका अगोपनीय रूपांतर साथ साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में उत्तर/अनुरोधों को रद्द किया जा सकता है।

37. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (परिशिष्टों/उनके साथ संलग्न अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर, अलग-अलग दायर करना अपेक्षित है।

38. ऐसे अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिह्नों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय सूचना" माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों को देखने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

39. गोपनीय रूपांतर में वह पूरी सूचना निहित होगी जो प्रकृति से गोपनीय है, और/या अन्य सूचना, जो उस सूचना देने वाले ने गोपनीय होने का दावा किया हो। प्रकृति में गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा करने वाली सूचना के लिए, सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ अच्छे कारण वाला विवरण दें कि वह सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।

40. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होनी चाहिए, अधिमानतः अनुक्रमित या खाली (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और यह सूचना गोपनीयता का दावा की गई सूचना के आधार पर उपयुक्त रूप से और पर्याप्त रूप से सारभूत की जानी चाहिए।

41. अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तथा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं पूर्ण स्पष्टीकरण से युक्त कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए आवश्यक रूप से यह दर्शाना चाहिए कि वह सार संभव क्यों नहीं है।

42. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज़ों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

43. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।

44. गोपनीयता के दावे के संबंध में, नियमावली के नियम 7 के अनुसार, सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण विवरण के बिना, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

45. प्राधिकारी, संतुष्ट होने पर और प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

**ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

46. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय रूपांतरों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सुलभ कराया जाएगा।

ण. **<u>असहयोग</u>**

47. यह कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उपयुक्त अवधि के भीतर सूचना देने से इंकार करता है और अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं देता है, या जांच में पर्याप्त रूप से बाधा डालता है तो प्राधिकारी उस हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जो वे उपयुक्त समझें।

**(अमिताभ कुमार)**
**निर्दिष्ट प्राधिकारी**